न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपीलः: 30/2018 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00288

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :–
1. भंवरलाल पुत्र सुराराम 2. जोगाराम पुत्र सुराराम 3. करनाराम पुत्र सुराराम, जातिगण पटेल, निवासीगण खेडा सतलाना, तहसील लुणी जिला जोधपुर (राज.)		1. श्रीमती ढलकी पुत्री मगनाराम पत्नी वागाराम जाति पटेल निवासी सतलाना खेडा तहसील लूणी जिला जोधपुर (राज.) 2. श्रीमती जमना पुत्री मगनाराम पत्नी हेमाराम जाति पटेल निवासी लूणी जिला जोधपुर (राज.) 3. तहसीलदार रोहट जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित उपस्थित
अधिवक्ता रेस्पाडेंट श्री मदनदास वैष्णव उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :–01.02.2021

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारार 75 राज0भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मौजा हीरावास, पटवार हल्का खाण्डी तहसील रोहट के नामान्तरकरण संख्या 120 को तहसीलदार रोहट द्वारा निरस्त करने आदेश दिनांक 18.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील अपीलाण्ट द्वारा वक्त बहस कथन किया कि राजस्व वाद संख्या 175/2010 के मूल वादी शिवली देवी एवं पांची देवी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 ए, 88 एवं 188 राज. काश्तकारी अधि. 1955 की खातेदारी की भूमि ग्राम हीरावास तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 3 रकबा 49 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय खसरा नम्बर 13 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम खसरा नम्बर 23 रकबा 109 बीघा 6 बिस्वा बारानी द्वितीय के पैतृक हक के बटवारें घोषणा व निषेधाज्ञा से सम्बधित उपखण्ड अधिकारी रोहट के न्यायालय मे विचाराधीन था जो दिनांक 18.03.2011 को जरिये राजीनामा प्रारम्भिक डिक्री एवं 15.04.2011 को अन्तिम डिक्री पारित की गई इसके पश्चात रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 द्वारा एक प्रार्थना पत्र में दिनांक 30.05.2011 को निर्णित किया गया जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राज अजमेर में निगरानी संख्या 5422/2011 पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 16.08.2011 को किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.05.2011 को निरस्त किया एवं उपखण्ड अधिकारी को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया एंव उपखण्ड न्यायालय ने अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 के रीड विथ 151 सी पी सी को पुनः दर्ज कर दिनांक 22.03.2013 को संशोधन वाद शीर्षक रेकार्ड पर लिया गया अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली संख्या 54/2011 का निर्णय दिनांक 22.05.2017 को एक पक्षीय सुनवाई कर दिया जिसके संबध में रिट याचिका संख्या 6074/2017 माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है अधीनस्थ न्यायालय को वादी का वाद जरिये उपशमन इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादी शिवलीदेवी का देहान्त वर्ष 2011 में हो गया एवं वादिनी की तरफ से का.मु. रेकर्ड पर नही लिया गया इसलिए वाद उपशमित हो गया उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा पारित उक्त आदेश के आधार पर अपीलाण्ट के पक्ष में रजि0 बेचाननामा के आधार पर [illegible] 120 को निरस्त करने का आदेश तहसील रोहट द्वारा बिना सूचना व सुन[illegible] दिनांक 18.05.2018 को पारित किया जिसमें व्यथित होकर सह[illegible] अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 120 [illegible] 18.05.2018 को निरस्त फरमा[illegible]वें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:47:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..........2

वकील रेस्पोडेण्ट ने वक्त बहत कथन किया कि वाद संख्या 175/2010 मे सादिर फैसला व डिक्री दिनांक 23.02.2018 की पालना में अपीलाधीन म्युटेशन पारित किया गया है। अपीलाण्टगण उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा पारित फैसला व डिक्री दिनांक 23.02.2018 को जब तक सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नही करवा देता तब तक उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त कराने हेतु प्रस्ततु अपील पोषणीय नही होने से काबिल खारिज है प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में बिना क्षेत्राधिकार के पेश की गई जो कानुनन पोषनीय नही होने से मय खर्चा खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करावें। अपने तर्को की ताईद मे वकील रेस्पोडेण्ट ने न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2005(2), 2012(2) आर आर टी 1250 एवं आर आर डी 1988 पेश संख्या 628 भी पेश किये गये है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली एवं जैर अपील नामान्तरकरण तथा अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया जैर अपील नामान्तरकरण पर तहसीलदार रोहट द्वारा दिनाँक 18.05.2018 को यह आदेश अंकित करते हुए निरस्त किया गया है कि 'उपखण्ड अधिकारी रोहट के प्रकरण संख्या 175/10 निर्णय दिनाँक 22.05.2017 को निरस्त करने तथा प्रकरण संख्या 46/2012 निर्णय दिनाँक 23.02.2018 की पालना में निरस्त किया जाता है।' इस से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा पारित निर्णयों की पालना में नामान्तरकरण निरस्त किया है। धारा 75 के तहत नामान्तरकरण पर तहसीलदार द्वारा दिए गए मूल आदेश की ही अपील की जा सकती है। जैर अपील नामान्तरकरण पर जो आदेश अंकित है वह प्रकरण संख्या 175/10 निर्णय दिनाँक 22.05.2017 को निरस्त करने तथा प्रकरण संख्या 46/2012 निर्णय दिनाँक 23.02.2018 की पालना में निरस्त किए जाने बाबत आदेश अंकित किया गया है जब तक उक्त प्रकरणों में जारी आदेशों को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक जैर अपील नामान्तरकरण पर पारित आदेश को निरस्त किया जाने का औचित्य नहीं है। न ही न्यायोचित है। क्योंकि तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही उपखंड अधिकारी के आदेशों के क्रम में की गई है, अतः उक्त आदेश को मूल आदेश नहीं माना जा सकता है, तथा धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इस बाबत वकील रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत इस प्रकरण में इसी आशय के होने से इस प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहसीलदार रोहट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 120 ग्राम हीरावास पटवार हल्का खाण्डी तहसील रोहट द्वारा पारित आदेश दिनाँक 18.05.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनाँक 01.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:47:02 IST
Reason: SelfAttested